भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1403

(09 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के तहत रोजगार सृजन

1403. श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:
श्री नारायण तातू राणे:
श्रीमती बिजुली कलिता मेधी:
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:
डॉ. संजय जायसवाल:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में योगदान दिया है, यदि हाँ, तो उक्त योजना ने असम सहित ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में राज्यवार कितना योगदान दिया है;
(ख) वर्ष 2016 से अब तक योजना के अंतर्गत सृजित किए गए व्यक्ति-दिनों की अनुमानित संख्या कितनी है;
(ग) अकुशल श्रम सहायता और अन्य सुविधाओं के प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) जैसी अन्य सरकारी योजनाओं से अभिसरण ब्यौरा क्या है; और
(घ) ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत क्या कदम उठाए गए और कुशल श्रमशक्ति की उपलब्धता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) से (ग): जी हां, ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है, ताकि मार्च 2029 तक पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करके बुनियादी सुविधाओं वाले 4.95 करोड़ आवासों का निर्माण किया जा

सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएमएवाई-जी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4.14 करोड़ आवासों का लक्ष्य दिया है, जिसमें से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 3.86 करोड़ से ज़्यादा आवासों को स्वीकृति दी है और 04.12.2025 की स्थिति के अनुसार 2.91 करोड़ से अधिक आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्माण कार्यकलाप रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती हैं। पीएमएवाई-जी के तहत आवास निर्माण से लगभग 201 श्रम-दिवस का सीधा रोज़गार मिलता है, जिसमें 56 कुशल, 34 अर्ध-कुशल और 111 अकुशल श्रम दिवस शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पिछले नौ वर्षों (2016-25) में, पीएमएवाई-जी के तहत 585 करोड़ से ज़्यादा श्रम दिवस सृजित किए गए हैं, जिसमें असम राज्य में पीएमएवाई-जी योजना की शुरुआत से लगभग 42.30 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए हैं। इसके अलावा, पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित मकानों का राज्य-वार ब्यौरा https://rhreporting.nic.in/netiay/PhysicalProgressReport/PhysicalProgressRpt.aspx पर देखा जा सकता है।

पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा (एफएफआई) के अनुसार, आवास निर्माण के लिए इकाई मदद के अलावा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) के तहत 90/95 श्रम-दिवस की अकुशल श्रम मजदूरी का प्रावधान है। इसके अलावा, पीएमएवाई-जी के लाभार्थी शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण [एसबीएम(जी)], मनरेगा योजना या किसी अन्य विशिष्ट वित्तीय स्रोत से भी ₹12,000 की सहायता प्राप्त करते है। इसके अलावा, पीएमएवाई-जी के पात्र लाभार्थियों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की संबंधित योजनाओं के साथ मिलकर एलपीजी कनेक्शन और बिजली कनेक्शन दिया जाता है। इस योजना के तहत अभिसरण द्वारा पीएमएवाई-जी परिवारों की महिला सदस्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के माध्यम से स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) में शामिल किया जा रहा है, जिससे बेहतर आजीविका के अवसर बढ़ेंगे।

(घ): ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएमएवाई-जी के तहत ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य गुणवत्तपूर्ण पीएमएवाई-जी आवासों के निर्माण के लिए कुशल राजमिस्त्रियों की कमी की समस्या को हल करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल राजमिस्त्रियों का होना ज़रूरी है ताकि योजना के तहत बनाए गए आवासों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। यह पहल न केवल ग्रामीण कार्यबल के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करती है, बल्कि अलग-अलग योजना के तहत ग्रामीण ढांचे के निर्माण के लिए कुशल कार्यबल की उपलब्धता में भी सहायता करती है। इसलिए, पीएमएवाई-जी के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की सहायता से आरएमटी कार्यक्रम शुरू किया गया है,

जिसका लक्ष्य पर्याप्त संख्या में राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देना है। ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 25.11.2025 तक, 3,75,265 अभ्यर्थियों को नामांकित किया गया है, जिनमें से 3,02,377 को प्रमाणित किया जा चुका है, और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इसके परिणामस्वरूप पीएमएवाई-जी के तहत निर्माण समय और गुणवत्ता में सुधार की जानकारी दी है।

कार्य-स्थल प्रशिक्षण मॉडल के अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत चल रहे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 से इसके समानांतर आरएमटी पहल शुरू की गई है, ताकि पहुंच को बढ़ाया जा सके और आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ किया जा सके। आरएसईटीआई मॉडल एक मानकीकृत पाठ्यक्रम और व्यावहारिक अनुभव के साथ संरचित प्रशिक्षण वातावरण देता है, जिससे राजमिस्त्री कौशल पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ होता है और प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय रोजगार तक पहुंच बेहतर होती है। इस पहल के माध्यम से कुल 7,700 अभ्यर्थियों को प्रमाणित किया गया है।

*****